

न्यायालय उपखण्ड अधिकारी (SDO) चौहटन, जिला बाड़मेर

क्रमांक/भू.अ./2023/ 160

दिनांक 17/01/2023

अनवान :-

प्रार्थीगण	बनाम	विप्रार्थीगण
गवरीदेवी वगैरा	बनाम	करनाराम वगैरा

प्रार्थना पत्र अन्तर्गत धारा 111,128 राज.भू.राजस्व अधिनियम  
वास्ते करने नेखमबंदी बाबत ।

राजस्व आवेदन सं. 125/2022

दिनांक : 17.01.2023

आदेश

तहसीलदार चौहटन को भेजकर लेख है कि उपरोक्त प्रकरण में तहसील चौहटन, पटवार क्षेत्र बीजराड के मौजा खारिया डेर के खेत खसरा सं. 168, 427, 582/419, 421, 425 रकबा क्रमशः 01.3274, 01.7078, 02.7600, 03.1808, 01.5216 हैक्टेयर भूमि के चारों तरफ पक्के नेखम स्थापित करने हेतु आपको कमिशनर नियुक्त किया जाता है। उक्त विवादित भूमि की नेखमबंदी/पेमाईश आप अपने स्तर पर किसी सक्षम न्यायालय का स्थगन आदेश न हो तो दोनों पक्षों के रूबरू मुस्तकिल/स्थाई बिन्दु को आधार मानकर विधिसम्मत तरीके से उपरोक्त भूमि की नेखमबंदी कर पालना रिपोर्ट 15 दिवस में अवश्य पेश करें।

नेखमबंदी के दौरान विप्रार्थीगण के हितो पर कुठाराघात न हों। आवश्यकता होने पर सम्बन्धित पुलिस थाना से पुलिस इमदाद हेतु अधिकृत किया जाता है। प्रार्थी कमिशनर को कमिशनर फीश रुपये 500/- मौके पर अदा करेंगे।



क्रमांक/भू.अ./2023/ 161 to 164  
प्रतिलिपि :-

1. तहसीलदार चौहटन
2. प्रार्थीगण गवरी वगैरा
3. विप्रार्थीगण करनाराम वगैरा
4. थानाधिकारी पुलिस थाना चौहटन/बीजराड/धौरीमन्ना/धनाऊ

उपखण्ड अधिकारी  
चौहटन  
उपखण्ड अधिकारी  
चौहटन  
दिनांक 17/01/2023



(भागीरथ राम II)  
उपखण्ड अधिकारी  
चौहटन  
उपखण्ड अधिकारी  
चौहटन